



कार्यालय

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, चतरा ।

(आपूर्ति शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची के ज्ञापांक-खा0प्र0 01/एल0पी0जी0/21-01/2016/4314/रांची दिनांक 25.10.2016 के द्वारा प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिनांक 01.11.2016 से समारोह पूर्वक वितरण किया जायेगा। उज्ज्वला योजना अर्न्तगत आवेदन करने के लिए इच्छुक इच्छुक सामाजिक एवं आर्थिक, जातीय जनगणना 2011 (SECC 2011) में शामिल परिवार की महिला सदस्य निर्धारित आवेदन पत्र भरकर अपने नजदिकी एल0पी0जी0 वितरण केन्द्र में जमा करेंगे। वैसे परिवार जिन्हे पूर्व से एल0पी0जी0 का कनेक्सन नहीं है, केवल वही परिवार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र हिन्दी और अंग्रेजी में वेब साईट <http://www.pmujiwalayojana.com> से डाउनलोड किया जा सकता है।

SECC 2011 की पुरी सूची NIC के वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। चतरा जिला के आवेदक SECC 2011 की सूची वेबसाईट www.chatra.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन के साथ निम्न कागजात का छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा:-

- बैंक खाता (कोर बैंकिंग शाखा का हो)
- आधार कार्ड की प्रति
- फोटो मतदाता पहचान पत्र
- दो पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
- राशन कार्ड
- मोबाईल नम्बर
- परिवार के 18 वर्ष से उपर के सभी सदस्यों का आधार कार्ड

चतरा जिला अर्न्तगत गैस वितरण आवेदन संधारण करने के पश्चात् लाभुकों को मुफ्त में गैस चुल्हा, रेगुलेटर, पाईप एवं भरा हुआ एक गैस सिलेण्डर एक ही बार उपलब्ध कराया जायेगा। शुभारम्भ अपने अपने प्रखण्ड में माननीय सांसद प्रतिनिधि/माननीय विधायक, राज्य सर्तकता समितियों के सदस्यों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर चयनित लाभुको को मुफ्त घरेलु गैस संयोग वितरण समारोह आयोजित करेंगे।

30

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
चतरा।

- ज्ञापांक 717/आ0, दिनांक 27.10.2016
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित ससमय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- ✓ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि जिला के वेबसाईट में प्रकाशित करने की कष्ट की जाय।
- प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- उपायुक्त, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित।

1
27/10/16
जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
चतरा।